हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

दशम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 93

वीरवार, 3 दिसम्बर, 2015/12 अग्रहायण, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

11.00 AM

1. प्रश्नोत्तरः

(i) तारांकित प्रश्नः

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 2108, 2111 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 2538 से 2543 तक उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न संख्या 2544 से 2562 तक के उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा दिये गये समझे गये।

(ii) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्या 1095 से 1108 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12.00 PM

2. कागज़ात सभा पटल पर रखना :

श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज़ विपणन एवं विधायन निगम सीमित का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) हिमाचल प्रदेश कृषि औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 45(4) के अन्तर्गत डा0 वाई0 एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी का वार्षिक प्रतिवेदन,वर्ष 2014-15।

3 सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति (वर्ष 2015-16) ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **120वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 85वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वित्त(आधिक्य) विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **121वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा)जोकि समिति के 86वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2015-16)ने** समिति का **50वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (वाणिज्यिक)के पैरा संख्या 3.12 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(3) **श्री खूब राम,सभापति, कल्याण समिति (वर्ष 2015-16) ने** समिति का **22वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 17वें मूल प्रतिवेदन

(बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी ।

(4) **श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति (वर्ष 2015-16) ने** समिति के **32वें मूल प्रतिवेदन** (दसवीं विधान सभा) (वर्ष 2005-06) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 7वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2008-09)में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेतर कार्रवाई विवरण** जोकि **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(5) **श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति के **20वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11)में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 12वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **पर्यटन एवं नागर विमानन विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी ।

12.10 PM

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः

श्री सुरेश भारद्वाज, सदस्य ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

"प्रदेश की राजधानी शिमला में Sealed/Restricted Roads हेतु गाड़ियों के परमिट जारी न होने" से उत्पन्न स्थिति की ओर **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करना।

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

<u>12.30 PM</u>

5. गैर-सरकारी सदस्य कार्य :

"संकल्प"

श्री महेन्द्र सिंह, सदस्य ने निम्न प्रस्ताव जो दिनांक 27-8-2015 को उनके द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है पर चर्चा कीः-

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश की बहुमूल्य संपत्तियां व भूमि जो केन्द्रीय एवं प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के निर्माण को दी जा चुकी है और बंजर पड़ी है उसे प्रदेश सरकार वापिस लें ।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. **श्रीमती आशा कुमारी**
2. **श्री महेश्वर सिंह**
3. **श्री रणधीर शर्मा**

माननीय उद्योग मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापिस हुआ।

(अपराह्न 1.25 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.25 बजे तक स्थगित हुई)

(अपराह्न 2.25 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के उपरान्त माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

पहला संकल्पः

श्री इन्द्र सिंह ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया व चर्चा कीः-

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में स्वच्छ पेयजल व सिंचाई की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करवाने हेतु विशेष नीति बनाए।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. **डॉ० राजीव बिन्दल**
2. **श्री कुलदीप कुमार**
3. **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर**
4. **श्री महेश्वर सिंह**
5. **श्री राजेश धर्माणी, मा० मुख्य संसदीय सचिव**
6. **श्री कृष्ण लाल ठाकुर**
7. **श्री रोहित ठाकुर, मा० मुख्य संसदीय सचिव**
8. **श्री बलदेव सिंह तोमर**
9. **श्री रवि ठाकुर**

माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापिस हुआ।

दूसरा संकल्पः

श्री रिखी राम कौंडल ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत कियाः-

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में उपलब्ध सौर ऊर्जा के दोहन हेतु सभी जिलों में सौर ऊर्जा पार्क/सयंत्रों की स्थापना हेतु नीति बनाए।"

(अपराह्न 4.55 बजे सदन की बैठक शुक्रवार 4 दिसम्बर, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 तक स्थगित हुई)